न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 74/2018

इन्द्रादेवी पत्नी पूर्णराम जाति मेघववाल निवासी 3/4 आर.एस.एम. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान।
2. जयगोपाल
3. खुशालचंद
4. विनोद
5. बलदेव
6. वर्षा
7. दर्शना

पिसरान अमीचंद उर्फ अमरचंद जाति अरोडा निवासी चक 30 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

जरिये मुख्त्यारआम राजकुमार पंत्र बिहारीलाल निवासी चक 30 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू—राजस्व अधि. 1956

अपील उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 10.05.2018

उपस्थिति—

श्री जगमोहन आहूजा अभिभाषक अपीलांट

श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक— 2-7-2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं प्रार्थीगण जयगोपाल आदि ने जरिये मु0आम राजकुमार पुत्र बिहारीलाल रकबा आवंटन करवाने बाबत प्रा.पत्र उपजिला कलक्टर घडसाना के समक्ष पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता को चक 2 एफ एम तहसील घडसाना का मु.नं. 168/41 का 15 बीघा रकबा आवंटन किया गया था तथा उक्त रकबा किसी अन्य को आवंटन हो चुका है। उक्त रकबा की एवज में अन्य रकबा प्रार्थी को आज तक आवंटन नहीं हुआ है। प्रार्थी राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश की पालना में अन्य रकबा आवंटन करवाना चाहता है। प्रार्थी को उक्त रकबा के एवज में चक 2 पी.एम.द्वितीय का मु.नं. 214/51 कि.नं. 1 ता 3, 7 ता 14, 16 ता 25

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कुल 5.313है0 (0.253है0 कमाण्ड व 5.060है0 अनकमाण्ड) एवं चक 3/4 आर. एस.एम. का मु.नं. 73/10 का कि.नं. 21, 22 कुल 0.506है0 कमाण्ड एवं चक 3/4 आर.एस.एम. का मु.नं. 53/50 का कि.नं. 25 कुल 0.253है0 कमाण्ड रकबा आवंटन किया जावे।

(A) उपखण्ड अधिकारी घडसाना ने अपने आदेश दिनांक 10.05.2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण जयगोपाल आदि को तहसीलदार से प्राप्त उपलब्ध रकबा राज भूमि में से चक 2 पीएम द्वितीय बी के प.नं. 214/51 के कि.नं. 1 ता 3, 7 ता 14, 16 ता 25 की 5.313है0 (क00.253है0 व अ0क0 5.060) एवं 3–4 आर.एस.एम. के मु.नं. 73/10 के कि.नं. 22/1 में 0.215है0 अ0क0 व प.नं. 53/50 के कि.नं. 23 ता 25 की 0.633है0 कमाण्ड कुल 6.161है0 कमाण्ड/अ0क0(0.886क0, 5.275 अ0क0) रकबा प्रथम आवंटन दिनांक 28.06.81 के समय कमाण्ड/अ0क0 भूमि की प्रचलित दर पर वैकल्पिक स्थाई आवंटन किये जाने के आदेश दिये।

(B) अपीलांट ने उक्त आदेश से व्यथीत होकर यह अपील पेश की है। अपीलांट ने अपील के साथ प्रा.पत्र दफा 5 मय शपथ पत्र पेश किया है। इसके अलावा अपीलांट ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी भी पेश किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट व उसके परिवार के नाम से चक 3–4 आर.एस.एम. तहसील घडसाना के खाता सं. 11/10 मु.नं. 62 प.नं. 73/10 की 5.705है0 खातेदारी दर्ज है। इसी मुरब्बा का कि.नं. 22/1 का 0.215है0 रकबाराज दर्ज है। उक्त रकबा अपीलांट व उसके परिवार के रकबा के बीच में पडता है। इसलिए अपीलांट व उसका परिवार स्मालपेच में अलॉट करवाने का हकदार है। अपीलाधीन आदेश से चक 3/4 आर.एस.एम के मु.नं. 73/10 के कि.नं. 22/1 के 0.215है0 की हद तक गलत, विधि विरूद्ध यकतरफा होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अधी. न्यायालय ने तहसीलदार रिपोर्ट का भी सावधानीपूर्वक अवलोकन नहीं किय। तहसीलदार रिपोर्ट में अपीलांट की ढाणी आदि का कथन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट प्रभावित पक्षकार है मगर उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट ने अपील पेश करते समय

धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया था। अतः निवेदन है कि अपीलांट का प्रा.पत्र 96सीपीसी स्वीकार करने की कृपा करे।

इसके अलावा अपीलांट अपील देरी से पेश करने बाबत दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसमें देरी के समुचित कारण अंकित किये हैं। अतः निवेदन है कि अपीलांट का दफा 5 का प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की करने की कृपा करे। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश चक 3/4 आर.एस.एम. तहसील घडसाना के प.नं. 73/10 के कि.नं. 22/1 के 0.215है0 रकबा की हद तक निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

(ii) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं। अधी.न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर रकबा राज भूमि का आवंटन किया है। अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं है। इसके अलावा अपीलांट ने यह अपील मियाद बाहर पेश की है। अपीलांट देरी बाबत समुचित कारण अंकित नहीं किये हैं। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रा.पत्र 96 सीपीसी एवं दफा 5 मियाद अधिनियम के बिन्दु पर अपील की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(I) पत्रावली व पैरोकार राज तथा एडवोकेट प्रार्थी की बहस से स्पष्ट है कि अपीलांट का रकबा उसी मुरब्बे में प्रत्यर्थी को आवंटित स्मालपेच किला 22/1 का रकबा 0.215 है0 में उसका निकट पडौसी होने के नाते हित निहित था एवं उसे सुनवाई का हक था। यह तहसीलदार रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। फलस्वरूप अपीलांट का प्रा.पत्र अन्तर्गत 96 सीपीसी स्वीकार योग्य है।

(II) चूंकि उक्त स्मालपेच भूमि में प्रार्थी का हित था एवं अधी. न्यायालय द्वारा उसे नोटिस ना देकर तथा सुनवाई का अवसर नहीं देकर भूमि एकतरफा तौर पर प्रत्यर्थी को आवंटित कर दी जो उसकी जानकारी में नहीं था। इस तथ्य को मामले व निर्णय अधी. न्यायालय से स्पष्ट साबित मानते है। अतः अपीलांट का देरी से प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना है उचित समझते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(III) अधी. न्यायालय ने अपने निर्णय पर पंहुचने से पूर्व ना तो विस्तृत तहसीलदार रिपोर्ट ली तथा ना ही मौके का नजरी नक्शा बनाया तथा ना ही सभी हितबद्ध पक्षकारों को

नोटिस दिया। केवल एकतरफा रूप से रेस्पों. का उस आवंटन शुदा रकबा में हित मानते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया जो अनुचित है।

(IV) ऐसे स्मालपेच आवंटन जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हितबद्ध है तो न्यायालय को आवंटन से पूर्व से चाहिए कि

(a) नक्शा मौका तैयार कराए।

(b) पृथक–पृथक हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि उसमे पृथक रंग से दिखाए।

(c) सभी हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस दे या सार्वजनिक सूचना करे।

(d) सहमति देने वाले व्यक्तियों की सहमति स्टाम्प पर ले।

(e) फिर भी यदि एक से अधिक व्यक्ति उस आवंटन हेतु इच्छुक है तो राज्यहित में एवं राज्य सरकार के रेवन्यू के लाभ के लिए रकबा निलामी द्वारा आवंटन करने हेतु अग्रसर होना चाहिए। अधी. न्यायालय द्वारा उक्त प्रकिया का अपालन उसके निर्णय से स्पष्ट है। लिहाजा उक्त निर्णय कानूनी दृष्टि से दूषित व काबिले निरस्त है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय को पत्रावली प्रेतिप्रेषित कर उक्तानुसार पालना कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु निर्देश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 2-7-2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर